रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub.section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1383] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2014/आषाढ़ 10, 1936
No. 1383] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2014/ASHADHA 10, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2014

का.आ. 1653(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3071 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में तारीख 9 अक्तूबर, 2013 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,–

(1) क्रम संख्या 1 के सामने, जिला ''दौसा'' के सामने,–

(क) तालुक ''दौसा'' के सामने, कॉलम (3) में,–

(i) प्रविष्टि ''0.000 कि.मी. से 15.720 कि.मी. तक'' के स्थान पर, प्रविष्टि ''0.000 कि. मी. से 9.400 कि.मी. तक'' प्रतिःस्थापित की जाएगी ;

(ख) तालुक ''नांगल राजावतान'' के सामने, कॉलम (3) में,–

(i) प्रविष्टि ''15.720 कि.मी. से 18.980 कि.मी. तक'' के स्थान पर, प्रविष्टि ''9.400 कि. मी. से 18.980 कि.मी. तक'' प्रतिःस्थापित की जाएगी ;

(ग) तालुक ''दौसा'' के सामने, कॉलम (7) में,–

(i) प्रविष्टि ''(4) बालमा भोजपुरा उर्फ बड़ागांव'' विलोपित की जाएगी ;

(ii) प्रविष्टि ''(5) देलाड़ी'' विलोपित की जाएगी ;

(iii) प्रविष्टि ''(6) ठिकरिया'' विलोपित की जाएगी ;

(iv) प्रविष्टि ''(7) कानपुरा'' विलोपित की जाएगी ;

(v) प्रविष्टि ''(8) मानपुरिया'' विलोपित की जाएगी ;

(vi) प्रविष्टि ''(9) टीटोली'' विलोपित की जाएगी ;

(ध) तालुक ''नांगल राजावतान'' के सामने, कॉलम (7) में,–

(i) प्रविष्टि ''(3) बालमा भोजपुरा उर्फ बड़ागांव'' अंतःस्थापित की जाएगी ;

(ii) प्रविष्टि ''(4) देलाड़ी'' अंतःस्थापित की जाएगी ;

(iii) प्रविष्टि ''(5) ठिकरिया'' अंतःस्थापित की जाएगी ;

(iv) प्रविष्टि ''(6) कानपुरा'' अंतःस्थापित की जाएगी ;

(v) प्रविष्टि ''(7) मानपुरिया'' अंतःस्थापित की जाएगी ;

(vi) प्रविष्टि ''(8) टीटोली'' अंतःस्थापित की जाएगी ;

(2) क्रम संख्या 2 के सामने, जिला ''दौसा'' के सामने,–

(क) तालुक ''लालसोट'' के सामने, कॉलम (7) में,–

(i) प्रविष्टि ''(41) बाढ़ देहलाल'' अंतःस्थापित की जाएगी ;

(ii) प्रविष्टि ''(42) सीतारामपुरा चक संख्या 2'' अंतःस्थापित की जाएगी ;

[फा.सं. भाराराप्रा / 31012 / 14 / पीआईयू / दौसा / एलए]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी:–मूल अधिसूचना का.आ. 3071 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2013, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 9 अक्तूबर, 2013, में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st July, 2014

S.O. 1653 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3071(E), dated the 8th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th October, 2013, namely:—

In the Schedule to the said notification, –

(1) against Serial number 1, against District "Dausa",—

(a) against Taluk "Dausa" in Column (3),—

(i) for the entry "Km 0.000 to Km 15.720", the entry "Km 0.000 to Km 9.400"shall be substituted;

(b) against Taluk "Nangal Rajawatan" in Column (3),—

(i) for the entry "Km 15.720 to Km 18.980", the entry "Km 9.400 to Km 18.980"shall be substituted;

(c) against Taluk "Dausa", in Column (7) —

(i) the entry "(4) Balma Bhojpura Urf Baragaon" shall be omitted;

(ii) the entry "(5) Delari" shall be omitted;

(iii) the entry "(6) Thikariya" shall be omitted;

(iv) the entry "(7) Kanpura" shall be omitted;

(v) the entry "(8) Manpuria" shall be omitted;

(vi) the entry "(9) Teetoli" shall be omitted;

(d) against Taluk "Nangal Rajawatan", in column (7) —

(i) the entry "(3) Balma Bhojpura Urf Baragaon" shall be inserted;

(ii) the entry "(4) Delari" shall be inserted;

(iii) the entry "(5) Thikariya" shall be inserted;

(iv) the entry "(6) Kanpura" shall be inserted;

(v) the entry "(7) Manpuria" shall be inserted;

(vi) the entry "(8) Teetoli" shall be inserted;

(2) against Serial number 2, against District "Dausa",—

(a) against Taluk "Lalsot", in column (7) –

(i) the entry "(41) Barh Dehlal" shall be inserted;

(ii) the entry "(42) Sitarampura Chak No.2" shall be inserted.

[F. No. NHAI/31012/14/PIU/DAUSA/LA]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note: The principal notification was published *vide* S.O. 3071(E), dated the 8th October, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part–II, Section 3, Sub–section (ii), dated the 9th October, 2013**.**

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi.110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi.110054.